कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ15ज( )15/श्रम/प्रमुवसं/2737-55 दिनांक 29.6.15

निमित,

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
अनुसंधान एवं प्रशिक्षण जयपुर/वनवर्धन जयपुर।

मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर/जयपुर/कोटा/अजमेर/भरतपुर/बीकानेर/जोधपुर।
(वन्य जीव)जयपुर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर/भरतपुर/सरिस्का(मु.) अलवर।
विभागीय कार्य जयपुर/एफपीआरपी जयपुर/आरवीपी कोटा/
एवं प्रावैधिक सहायक प्र.मु.व.सं. राज0 जयपुर।

विषयः—डी बी स्पेशल अपील संख्या 405/07 श्री रिछपाल सिंह एवं अन्य बनाम राजस्थान सरकार।

महोदय

उपरोक्त विषयांकित खण्डपीठ अपील में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 01.12.14 से एकल पीठ के निर्णय दिनांक 10.05.06 को अपास्त कर याचिकार्थीयों को वनरक्षक के पद पर समायोजित किये जाने के निर्देश दिये है साथ ही यह भी निर्देश दिये है कि जो कैटलगार्ड प्रथम बार अस्थाई रूप से वनरक्षक के पद पर आदेश दिनांक 24.04.98 द्वारा समायोजित कर लिये गये थे तथा न्यायालय में याचिका खारिज होने के बाद नहीं आये है, ऐसे समान व्यक्तियों को भी नियम 1963 के अनुसार योग्यता के आधार पर विचारित कर उन्हें समान लाभ दिया जावे। अपीलार्थी के समान अन्य व्यक्तियों के बारे में भी विचार किया जाकर उन्हें वनरक्षक के पद पर समायोजित किये जाने के निर्देश दिये है।

उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील करने अथवा नहीं करने की अभिशंसा करने हेतु गठित प्री—लिटीगेशन कमेटी की बैठक दिनांक 13.04.15 में यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे ओर कितने व्यक्ति है जिन्हें इस निर्णय के आधार पर लाभ देय होगा, की वास्तविक स्थिति पत्रावली पर उपलब्ध कराई जाकर पुनः समिति के समक्ष प्रकरण विचार—विमर्श हेतु प्रस्तुत किया जावे।

वित्त विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ16(9)वित्त(नियम)/98 जयपुर दिनांक 26.03.1998 से वनरक्षक के पद पर भर्ती के लिये न्यूनतम योग्यता सेकेण्ड्री की गई थी। इस कारण अस्थाई रूप से वनरक्षक के पद पर समायोजित किये गये पशुरक्षकों को पुनः पशुरक्षक के पद पर पदस्थापित कर दिया गया था अथवा कुछ पशुरक्षक वन रक्षक के पद पर समायोजित होने से वचित रह गये थे। **अतः वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 26.03.98 के कारण तत्समय पात्र कार्य प्रभारित कर्मचारी जिनका समायोजन वन रक्षक के पद पर होने से रह गया था अथवा वन रक्षक से पुनः पशुरक्षक के पद पर पदस्थापित कर दिया गया था की सूचना संलग्न प्रपत्र में अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त कर इस कार्यालय को 10 दिवस में भिजवावे ताकि प्री लिटिगेशन कमेटी को उनकी आगामी बैठक में सूचना उपलब्ध कराई जा सके।**

संलग्नः— प्रपत्र

भवदीय

(ए.के.सिंह)
अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
श्रम एंव विधि,
राज.जयपुर

क्रमांकः एफ15ज( )15/श्रम/प्रमुवसं/2756-2856 दिनांक 29.6.15

प्रतिलिपिः—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. समस्त उप वन संरक्षक/कार्य आयोजना अधिकारी/वन बन्दोस्त अधिकारी को प्रेषित कर लेख है कि उक्तानुसार सूचना 5 दिवस में संलग्न प्रपत्र में तैयार कर नियत्रणाअधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय को भिजवावे।
2. शाखा प्रभारी कम्पयूटर अनुभाग को विभागी वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु। सह प्रपत्र
3. प्रदेश महांमत्री राजस्थान वन विभाग श्रमिक संघ जयपुर।

(ए.के.सिंह)
अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
श्रम एंव विधि,
राज.जयपुर

D:\jabar ka kam\jaber file\ashok sharma.cdr

वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 26.03.98 के फलस्वरूप कैटलगार्ड जो तत्समय आठवी पास थे वन रक्षक के पद पर समायोजन होने से वंचित रह गये थे अथवा पुनः पशुरक्षक बना दिया गया की सूचना हेतु प्रपत्र

कार्यालय का नाम ....

क्र.सं.	नाम मय पिता का नाम	शैक्षणिक योग्यता आठवी उत्तीर्ण करने का वर्ष	प्रथम नियुक्ति तिथि	अर्द्धस्थायीकरण दिनांक	अर्द्धस्थायीकरण आदेश जारी करने की दिनांक	स्थाईकरण की दिनांक	नियमितिकरण की दिनांक	वि. वि.
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								

नोटः–विशेष विवरण में यदि किसी पशुरक्षक को अस्थाई रूप से वनरक्षक के पद पर समायोजित किया गया था, लेकिन वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 26.03.98 के कारण पुनः पशुरक्षक के पद पर पदस्थापित किया गया के तथ्य को अंकित किया जावे तथा उक्त आदेश की प्रति भी सूचना के साथ संलग्न करे।

हस्ताक्षर